

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. :::: 34 / 2020

सरकार बनाम रामानन्द पुत्र कुम्भाराम, जाति- जाट,
निवासी- स्वामी सेही

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 13.08.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रामानन्द पुत्र कुम्भाराम, जाति-जाट, निवासी-स्वामी सेही द्वारा रोही मौजा स्वामी सेही की भूमि ख.नं. 347 के कुल रकबा 39.07 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.25 है० भूमि पर तारबंदी, बाड़ एवं बाजरा बीजकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से जवाब नोटिस पेश किया जिसमें जोहड़ की भूमि पर अपना अतिक्रमण नहीं होना बताया है अतः गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है अन्य कोई साक्ष्य/ सबूत पेश नहीं किया। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 94 रु. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 18 पर
वर्ष 2020-21 में रूपये 94/- कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़